बिल का सारांश

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) बिल, 2023

- हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) बिल, 2023 को 3 अप्रैल, 2023 को पेश किया गया। यह बिल हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2023 का स्थान लेता है। बिल हिमाचल प्रदेश नगर निगम एक्ट, 1994 में संशोधन करता है। एक्ट नगर निगमों की स्थापना से संबंधित प्रावधान करता है।
- **वॉर्डों की कुल संख्या**: पार्षदों के चुनाव के लिए एक्ट नगर निगम क्षेत्र को वार्डों में विभाजित करने के मानदंड निर्धारित करता है। यह निर्दिष्ट करता है कि नगर निगमों में वार्डों की कुल संख्या 41 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बिल वार्डों की अधिकतम संख्या को घटाकर 34 करता है। यह परिवर्तन 24 जनवरी, 2023 से पूर्वव्यापी प्रभावी रूप से लागू होगा।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

तन्वी विप्रा
tanvi@prsindia.org

3 मई, 2023